


कॉर्पोरेट कार्यालय 254—260, अब्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै — 600 014

Corporate Office 254 - 260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah Chennai - 600 014

# वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से पंद्रहवीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस

# NOTICE OF 15<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

शुक्रवार, 16 जुलाई, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे Friday, the 16<sup>th</sup> July, 2021 at 11.00 a.m.





# महत्वपूर्ण तिथियाँ IMPORTANT DATES

पंद्रहवीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की	शुक्रवार, 16 जुलाई, 2021 को सुबह 11.00
तिथि, समय और माध्यम	<b>बजे</b> वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य
	ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के
	माध्यम से
Date, time and mode of Fifteenth Annual	Friday, the 16 <sup>th</sup> July, 2021 at 11.00 a.m
General Meeting (AGM)	through Video Conferencing (VC)/ Other
-0	Audio Visual Means (OAVM)
स्पीकर के रूप में पंजीकृत होने के लिए	शुक्रवार, 09 जुलाई, 2021
ई–मेल के माध्यम से अनुरोध भेजने की	(कार्य समय की समाप्ति)
अंतिम तिथि	
	Friday, the 09th July, 2021 (Close of
Last date for sending e-mail request to get registered as a speaker	business hour)
बैठक की कार्यसूची मदों पर मतदान करने	शुक्रवार, ०९ जुलाई, २०२१
के लिए शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित	(कार्य समय की समाप्ति)
करने के लिए कट-ऑफ तिथि	
Cut-off Date for ascertaining eligibility of the	Friday, the 09th July, 2021 (Close of
Shareholders to vote on Agenda items of	business hour)
the meeting. रिमोट ई—वोटिंग	मंगलवार, 13 जुलाई, 2021 को सुबह 10.
िरिनाट इ—पाटिंग	00 बजे से बृहस्पतिवार, 15 जुलाई, 2021
	को शाम 5.00 बजे तक
	From 10.00 a.m. on Tuesday, the 13 <sup>th</sup>
Remote e-voting	July, 2021 to 5.00 p.m. on Thursday, the
	15 <sup>th</sup> July, 2021.
लाभांश के लिए अभिलेख तिथि	शुक्रवार, 09 जुलाई, 2021
Record Date for Dividend	Friday, the 09 <sup>th</sup> July, 2021
वार्षिक लेखा बंदी तिथि	शनिवार, 10 जुलाई, 2021 से
	शुक्रवार, 16 जुलाई, 2021 (दोनों दिन
	सम्मिलित)
Annual Book Closure Date	From Saturday, the 10 <sup>th</sup> July, 2021 to
	Friday, the 16 <sup>th</sup> July, 2021 (both days inclusive)
लाभांश भुगतान तिथि	शुक्रवार, 30 जुलाई, 2021
Dividend Payment Date	Friday, the 30 <sup>th</sup> July, 2021



## कॉर्पोरेट कार्यालय : 254—260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

## सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इंडियन बैंक के शेयरधारकों की पंद्रहवीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 16 जुलाई, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है:

## मद संख्या 1 :\_

यथास्थिति 31 मार्च 2021 को बैंक की लेखापरीक्षित तुलनपत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखा, लेखों द्वारा कवर की गई इस अवधि के लिए बैंक के कार्यों व कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र व लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदित करना एवं अपनाना।

## मद संख्या 2 :\_

इक्विटी शेयरों से संबंधित लाभांश की घोषणा।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 10 जून, 2021

(पद्मजा चुन्डूरु)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

#### टिप्पणियाँ

- 1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक का संचालन ("ई—एजीएम") :
  - ए) कोविड—19 महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेन्सिंग नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी साधारण परिपत्र क्र 14/ 2020, 17/ 2020, 20/2020, 39/2020 एवं 39/2021 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई, 2020, 31 दिसंबर 2020 एवं 13 जनवरी, 2021 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी परिपत्र) द्वारा जारी परिपत्र क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/ 2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/ 2021/11 दिनांक 5 जनवरी, 2021 तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताए और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की एजीएम का संचालन वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर सभी सदस्यों/शेयरधारकों की सशरीर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। एजीएम के लिए विचारणीय स्थान चेन्नै में स्थित बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय होगा। चूंकि कार्यसूची मद को टाला नहीं जा सकत है, अतः वीसी/ओएवीएम के जरिए बैंक के एजीएम में इसे संचालित किया जाए।
  - बी) बैंक एमसीए परिपत्र में वर्णित सभी प्रावधानों का अनुपालन एवं पालन कर रहा है। बैंक ने वीसी/ओएवीएम कनेक्शन में तकनीकी खराबी से बचने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। बैंक ने बैठक की समग्रता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समुचित सुरक्षा सुनिश्चित की है।
  - सी) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में सहभागिता एवं एजीएम के दौरान ई—वोटिंग करने के लिए रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
  - डी) एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र के अनुसार, एजीएम की सूचना बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in, बीएसई लिमिटेड नामक स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com, पर उपलब्ध कराई जाएगी।
  - ई) चूंकि एजीएम वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित की जाएगी, इस कारण रूट मैप इस सूचना में संलग्न नहीं है, जैसा कि सचिवीय मानक 2 के अंतर्गत अपेक्षित है।
  - एफ) भौतिक मोड में शेयर रखनेवाले शेयरधारक एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने के लिए लिंक <a href="https://investors.cameoindia.com">https://investors.cameoindia.com</a> पर क्लिक करके अपने ई—मेल आईडी को अस्थायी रूप से पंजीकृत कर सकते हैं।

#### 2. मतदान अधिकार :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक, मतदान का प्रयोग करने का हकदार नहीं है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999 यथा संशोधित के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत है तो इस स्थिति में रिजस्टर में पहले पंजीकृत व्यक्ति को मतदान किए जाने का अधिकारी माना जाएगा।

## 3. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

एमसीए परिपत्र के अनुसार चूंकि सदस्यों को सशरीर उपस्थिति होने के लिए माना किया गया है, अतः प्राक्सियों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1999 के विनियम 62 के तहत इस एजीएम में सदस्यों द्वारा प्राक्सियों की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः, प्राक्सी की नियुक्ति के लिए लिखत और उपस्थिति पर्ची इसके साथ संलग्न नहीं है।

## 4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति, किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करने वाले संकल्प की प्रति जिसे उस बैठक, जिसमें उसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया गया है, जिसे बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय कंपनी सचिव, इंडियन बैंक, निवेशक सेवा कक्ष, विंग 2 — सी, द्वितीय तल, 254—260, अव्ये षण्मुगम साले, रायपेहा, चेन्ने — 600 014 को या उक्त संकल्प की प्रमाणित मूल प्रति की स्कैन कॉपी ई—मेल के माध्यम से scrutinizer@snaco.net एवं इसकी प्रति investors@indianbank.co.in को वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले तक अर्थात 09 जुलाई, 2021 को कार्य—समय की समाप्ति तक या उससे पूर्व भेजा जाए।

### 5. अभिलेख तिथि और बही का बन्द किया जाना

लाभांश भुगतान हेतु अभिलेख तिथि शुक्रवार, 09 जुलाई, 2021 होगी।

एजीएम के निमित्त बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अन्तरण / हस्तानांतरण बहियाँ **शनिवार, 10 जुलाई, 2021 से शुक्रवार, 16 जुलाई, 2021** तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेंगी।

## 6. लाभांश का भुगतान

वार्षिक आम बैठक में यदि शेयरधारकों द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है तो उसका भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम:

- ए) इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गये शेयरों के सम्बन्ध में, **शुक्रवार, 09 जुलाई, 2021** को कार्य समाप्ति पर एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली शेयरधारकों की सूची में शामिल हों तथा / अथवा
- बी) भौतिक रूप में रखे गये शेयरों के सम्बन्ध में, शुक्रवार, 09 जुलाई, 2021 को कार्य समाप्ति से पूर्व शेयरधारकों से प्राप्त वैध अंतरण / हस्तांतरण अनुरोध को प्रभावी करने के पश्चात शुक्रवार, **09 जुलाई, 2021** को शेयरधारकों की पंजी में शामिल हों।

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) के माध्यम से लाभांश को जमा करने का विकल्प नहीं दिया है, उन्हें लाभांश के भुगतान तिथि से पहले रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट यथा मेसर्स कैमियों कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड के जरिए लाभांश वारंट भेजा जाएगा।

ऐसे शेयरधारक जिन्होंने एनएसीएच / इलेक्ट्रानिक रूप से जमा के माध्यम से लाभांश को अपने खाते में जमा करने का विकल्प दिया है, उनका लाभांश एनएसीएच के माध्यम से उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा।

एनएसीएच निष्फलध्वापस होने की स्थिति में संबंधित शेयरधारकों को लाभांश वारंट जारी किया जाएगा। लाभांश का भुगतान भारत सरकार के आवश्यक अनुमोदन/निर्देश के अधीन है।

लाभांश भुगतान की तिथि 30 जुलाई, 2021 होगी।

### 7. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र :

चूंकि बैठक वीसी/ओवीएम के माध्यम से संचालित की जा रही है अतः एजीएम में सहभागिता के लिए उपस्थिति पर्ची की आवश्यकता नहीं है।

लॉकडाउन संपूर्णता से हटने या सभा करने पर प्रतिबंध में राहत मिलने और ऑडिटोरियम में बैठक का आयोजन किए जाने और शेयरधारकों के बैठक में उपस्थित रहने के पात्र होने की स्थिति में शेयरधारकों के हित में उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र को बैठक के स्थान पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

## 8. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट के साथ पत्राचार:

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में किसी प्रकार के परिवर्तन होने, ट्रांसिमशन, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, ईसीएस (इलेक्ट्रानिक समाशोधन पद्धति) अधिदेश आदि हेतु अनुरोध करने के लिए बैंक के रिजस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेन्ट (आरटीए) को निम्न पते पर संपर्क करें:

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड (यूनिट: इंडियन बैंक) सुब्रमण्यम बिल्डिंग नं —1, क्लब हाउस रोड,

चेन्नै 600 002

टेलीफोन - 044 - 28460390/91/92/93/94 (5 लाइनें)

ईमेल : investor@cameoindia.com या cameo@cameoindia.com

शेयरधारकों को त्वरित और प्रभावी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से इंडियन बैंक ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै में निवेशक सेवा कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक और निवेशक किसी भी प्रकार की सहायता हेतु निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं:

महाप्रबंधक — सीएफओ इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254—260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै — 600 014 दुरभाष : 044—28134574

ई-मेल : cfo@indianbank.co.in

सहायक महा प्रबन्धक एवं कंपनी सचिव

निवेशक सेवा कक्ष

254—260, अव्वै षण्मुगम सालै,

रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014

द्रभाष: 044-28134698

ई-मेल : ibinvestorrelations@indianbank.co.in

## 9. अदत्त / अदावी लाभांश, यदि हो, तो :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी के अनुसार, वह राशि जो अदत्त / अदावी लाभांश खाता में अंतरित किया गया हो और ऐसे अंतरण की तिथि से वह सात वर्षों के लिए अदत्त / अदावी हो तो उसे कंपनी अधिनियम, 1956 / 2013 की धारा 205 सी / 125 के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में अंतरित किया जाएगा।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.सं.7/93/2013—बीओए दिनांक 21.05.2014 के माध्यम से दिए गए निर्देश/दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012—13 और 2013—14 (अंतरिम) के लिए बैंक की अदत्त और अदावी लाभांश राशि को "इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड" में अंतरित कर दिया गया है और वित्तीय वर्ष 2013—14 (अंतिम) के लिए बैंक के अदत्त और अदावी लाभांश को "इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड" में अंतरित किया जाना प्रक्रियाधीन है।

इसके अलावा, यह अनुरोध किया जाता है कि जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2014–15 और उसके बाद बैंक द्वारा घोषित लाभांश प्राप्त/दावा नहीं किया है, वे एनईएफटी/ एनएसीएच के माध्यम से अपने अदत्त लाभांश वारंट की आय के विप्रेषण के लिए रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड, सुब्रमण्यम बिल्डिंग, नं —1, क्लब हाउस रोड, चेन्नै 600 002 के पास अपना वैध दावा दर्ज करें।

बैंक ने अदत्त/अदावी लाभांश वारंटों का विवरण अपनी वेबसाइट www.indianbank.in पर प्रदर्शित किया है ताकि शेयरधारक शेयर अंतरण एजेंट या बैंक से संपर्क कर दावा कर सके।

## 10.पता / बैंक ब्यौरा / बैंक खाता में परिवर्तन

- ए) लाभांश का भुगतान करने हेतु बैंक एनएसडीएल / सीडीएसएल के साथ पंजीकृत और संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किये गये बैंक खाते के ब्यौरे का उपयोग करेगा। जिन शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर रखे हुए हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी खाते में रिजस्टर्ड बैंक खाते के विवरणों को संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी") के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए, तािक अभिलेख तिथि के पूर्व इसे अद्यतन किया जा सके। बैंक अथवा इसके शेयर अंतरण एजेन्ट इलेक्ट्रानिक रूप में रखे शेयरों के धारकों से बैंक विवरणों अथवा बैंक मैंडेट में किसी परिवर्तन हेतु सीधे प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इस तरह के परिवर्तन शेयरधारकों द्वारा अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ किए जाने चाहिए, जहां उनका डीमैट खाता है।
- बी) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर मौजूद हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वे वैध दस्तावेजी सबूत के साथ हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन प्रेषित करें एवं यदि अपने बैंक खाते विवरण में परिवर्तन करना चाहते हैं तो रद्द किए गए चेक जिस पर निम्न विवरण जैसे कि खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड और नाम छपा हो, के साथ हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन सूचना बैंक के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए), कैमियो कॉर्पोरेट सेवाएँ लिमिटेड को उपरोक्त उल्लिखित पते पर भेजें।
- सी) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के आरटीआए के साथ किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय संबंधित फोलियो क्रमांक (भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य) और संबंधित डीपी आईडी / ग्राहक आईडी क्रमांक (इलेक्ट्रानिक / डीमेट रुप में शेयर रखने वाले सदस्य) का अनिवार्य रुप से उल्लेख करें।

#### 11. हरित पहल :

'हरित पहल' का समर्थन करने के उद्देश्य से, जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपना ईमेल पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गये हैं तो वे अपने डीपी के साथ अपना ईमेल पंजीकृत करें और यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गये हैं तो कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड के साथ अपना ईमेल पंजीकृत करें।

### 12. ई-मतदान के माध्यम से मतदान अधिकार का प्रयोगः

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, बैठक में उपस्थित रहने व मतदान के पात्र शेयरधारक रिमोट ई—मतदान के जरिये अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं।

## रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।

शेयरधारकों / हिताधिकारी स्वामी के मताधिकारों का निर्धारण **शुक्रवार, 09 जुलाई, 2021** (इस उद्देश्य हेतु निर्धारित तिथि) को उनके द्वारा धारित शेयरों के आधार पर किया जाएगा।

# 13. सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण:

सेबी और एमसीए परिपत्रों के अनुरूप एजीएम नोटिस और वित्तीय वर्ष 2020—21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट को डाक से प्रेषित नहीं किया जाएगा बल्कि इसे बैंक के शेयरधारक अभिलेख में अपना ई—मेल आईडी पंजीकृत करनेवाले ग्राहकों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजा जाएगा। एजीएम नोटिस और वित्त वर्ष 2020—21 की वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर प्रदर्शित किया जाएगा।

## 14. भौतिक धारण का अमूर्तीकरण :

सेबी ने प्रतिभूति बाजार के प्रत्येक भागीदार को स्थायी खाता संख्या (पैन) एवं बैंक विवरण जमा करना अनिवार्य कर दिया है। सदस्य जो इलेक्ट्रोनिक रूप से शेयर रखते हैं उनसे अनुरोध है कि वह अपना पैन का विवरण अपने डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट के पास जमा करें, भौतिक रूप से शेयरों को रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक के आरटीए को अपना पैन का विवरण प्रस्तुत करें। सूचीबद्ध संस्थाओं की प्रतिभूतियों को 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी रूप से केवल अमूर्तीकरण रूप में हस्तांतरित किया जा सकता है। भौतिक रूप से शेयर्स को रखने वाले सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि अपने रखे हुए भौतिक शेयरों से संबद्ध सभी जोखिमों को दूर करने के लिए उन्हें अमूर्तीकरण रूप में बदलने पर विचार करें।

## 15. बैठक में ई-मतदान हेतु संवीक्षक :

एजीएम प्रक्रिया में रिमोट ई—मतदान और मतदान को न्यायोचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु बैंक ने मेसर्स एस एन अनन्तसुब्रमणियन, कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

## 16. ई-मतदान एवं संबन्धित प्रक्रिया :

इलेक्ट्रानिक रूप से वोटिंग करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नवत् हैं:--

इलेक्ट्रानिक वोटिंग श्रृंखला संख्या (ईवीएसएन)-	
कार्यसूची मद संख्या 01: यथास्थिति 31 मार्च 2021 को बैंक की लेखापरीक्षित तुलनपत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखा, लेखों द्वारा कवर की गई इस अविध के लिए बैंक के कार्यों व कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र व लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदित करना एवं अपनाना।	210615005
कार्यसूची मद संख्या 02 : इक्विटी शेयरों से संबंधित लाभांश की घोषणा।	

- (i) नोटिस के कार्यसूची मद के लिए शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार **09 जुलाई, 2021** (इस उद्देश्य के लिए निर्धारित तिथि) को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।
- (ii) मतदान की अवधि 13 जुलाई, 2021 को सुबह 10.00 बजे शुरू होगी और 15 जुलाई, 2021 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक जिनके पास कट—ऑफ तिथि (अभिलेख तिथि) अर्थात 09 जुलाई, 2021 को भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर हैं, अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। इसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा ई—वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- (iii) जो शेयरधारक बैठक की तारीख से पहले ही मतदान कर चुका होगा, वे बैठक में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
- (iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के तहत सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 09.12.2020 के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को सभी शेयरधारकों के प्रस्तावों के संबंध में अपने शेयरधारकों को रिमोट ई—वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। तथापि, यह देखा गया है कि सार्वजनिक गैर—संस्थागत शेयरधारकों/खुदरा शेयरधारकों की भागीदारी नगण्य स्तर पर है। वर्तमान में, भारत में

सूचीबद्ध संस्थाओं को ई—वोटिंग सुविधा प्रदान करनेवाले कई ई—वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं। इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और कई यूजर आईडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/डिपॉजिटरी की वेबसाइटों/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से एकल लॉगइन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई—वोटिंग सक्रिय करने का निर्णय लिया गया है। डीमैट खाताधारक ईएसपी में फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्वाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई—वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेना आसान और सुविधायुक्त बनाएगी।

(v)सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई—वोटिंग सुविधा संबंधी सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 के अनुसार, डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास रखे अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट कर सकते हैं। ई—वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अद्यतन करें।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, **डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकों** के लिए ई—वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगइन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारक का प्रकार		लॉगइन विधि
<b>सीडीएसएल</b> में डीमैट	1)	जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईजी/इजियेस्ट सुविधा का विकल्प चुना है,
रूप में प्रतिभूति	,	वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन कर सकते हैं।
रखनेवाले व्यक्तिगत		बिना किसी प्रमाणीकरण के ई—वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध
शेयरधारक		कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईजी/इजियेस्ट में लॉगइन करने के लिए
		यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login हैं या वे
		www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगइन आइकन पर क्लिक करें और न्यू
		सिस्टम माईसी चुनें।
	2)	सफल लॉगइन के बाद ईजी/इजियेस्ट उपयोगकर्ता कंपनी / बैंक द्वारा प्रदान की
	,	गई जानकारी के अनुसार उन पात्र कंपनियों / बैंकों के लिए ई—वोटिंग विकल्प
		देख सकेंगे जहां ई—वोटिंग चल रही है। ई—वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर
		उपयोगकर्ता रिमोट ई—वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के
		दौरान वर्चुअल बैठक और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई—वोटिंग सेवा प्रदाता
		का ई—वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त सभी ई—वोटिंग सेवा प्रदाताओं
		अर्थात सीडीएसएल/एनएसडीएल/कार्वी/लिंकइनटाइम के सिस्टम को एक्सेस
		करने के लिए लिंक भी प्रदान किया गया है ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग
		सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सके।
	3)	यदि उपयोगकर्ता ईजी/इजियेस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण के लिए
		https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration ਧਰ
		विकल्प उपलब्ध है।
	4)	वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com के होम पेज पर उपलब्ध
		ई–वोटिंग लिंक में डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई–वोटिंग
		पेज तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में पंजीकृत मोबाइल और ईमेल
		पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के
		बाद उपयोगकर्ता जहां वोटिंग चल रही है उसके लिए ई—वोटिंग विकल्प देख

		सकेगा और सभी ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम को सीधे एक्सेस भी कर
		सकेगा।
<b>एनएसडीएल</b> में डीमैट	1)	यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं
रूप में प्रतिभूति		तो कृपया एनएसडीएल की ई–सेवाएं वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर
रखनेवाले व्यक्तिगत		या मोबाइल पर यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउजर
शेयरधारक		खोलें। ई–सेवाओं का होम पेज खुलने के बाद 'आइडीएएस' सेक्शन में उपलब्ध
		"लॉगइन" के तहत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें। एक नई
		स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल
		प्रमाणीकरण के बाद आप ई—वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई—वोटिंग सेवाओं
		के तहत "एक्सेस टू ई—वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई—वोटिंग पेज देख
		पाएंगे। कंपनी / बैंक के नाम या ई—वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें
		जो आपको रिमोट ई—वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल बैठक में शामिल होने
		और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई—वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर
		ले जाएगा।
	2)	यदि उपयोगकर्ता आईडीईएएस ई–सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण
		का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। आईडीईएएस पोर्टल
		के लिए "रजिस्टर ऑनलाइन" चुनें या
		https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक
		करें।
	3)	एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल
		पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें।
		ई—वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने के बाद 'शेयरहोल्डर/मेम्बर' सेक्शन में
		उपलब्ध "लॉगइन" आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। स्क्रीन पर
		दिखाए गए अनुसार आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल में रखे
		आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन
		कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल
		डिपॉजिटरी साइट पर ले जाया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे।
		कंपनी के नाम या ई—वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें जो आपको
		रिमोट ई—वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक
		के दौरान मतदान करने के लिए ई—वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर ले जाएगा।
व्यक्तिगत शेयरधारक		आप ई—वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत अपने
(डीमैट रूप में		डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगइन क्रेडेंशियल
प्रतिभूतियों को		का उपयोग करके भी लॉगइन कर सकते हैं। सफल लॉगइन के बाद आप
रखनेवाले) अपने		ई—वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई—वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर आपको
डिपॉजिटरी 		सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर ले
प्रतिभागियों के माध्यम		जाया जाएगा, जहां आप ई—वोटिंग फीचर देख पाएंगे। कंपनी / बैंक के नाम या
से लॉगइन करते हैं		ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें जो आपको रिमोट ई-वोटिंग
		अवधि के दौरान या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान
		करने के लिए ई—वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर ले जाएगा।

महत्वपूर्ण सूचना: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड भूल गए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें। डिपॉजिटरी अर्थात सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क :

लॉगइन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल में डीमैट रूप में प्रतिभूति रखनेवाले	लॉगइन में तकनीकी समस्या होने पर सीडीएसएल हेल्पडेस्क
व्यक्तिगत शेयरधारक	से संपर्क करने के लिए सदस्य
	helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज सकते
	हैं या 022— 23058738 और 22—23058542—43 पर संपर्क
	कर सकते हैं।
एनएसडीएल में डीमैट रूप में प्रतिभूति	लॉगइन में तकनीकी समस्या होने पर एनएसडीएल हेल्पडेस्क
रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक	से संपर्क करने के लिए सदस्य evoting@nsdl.co.in पर
	अनुरोध भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबररू 1800 1020 990
	और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।

- (vi) ई-वोटिंग और डीमैट रूप में व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए वर्च्अल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगइन विधि:
  - 1) शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com में लागऑन करें।
  - 2) "शेयरहोल्डर" मॉड्यूल पर क्लिक करें।
  - 3) अब अपने यूजर आईडी को प्रविष्ट करें।
    - (क) सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों की लाभार्थी आईडी,
    - (ख) एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी,
    - (ग) भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर दर्ज करना चाहिए।
  - 4) छवि सत्यापन को प्रदर्शित किए अनुसार दर्ज करें और लॉगइन पर क्लिक करें।
  - 5) यदि आप डीमैट रूप में शेयर रख रहे हैं और <u>www.evotingindia.com</u> पर लॉगइन किया है और किसी अन्य कंपनी / बैंक के मतदान में शामिल हुए है, तो आप मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
  - 6) यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें -

	डीमैट रूप और भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों के लिए	
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अल्फा—न्यूमरिक 10 अंकोंवाला अपना पैन दर्ज करें (डीमैट) शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू)	
	<ul> <li>जिन शेयरधारकों ने बैंक / डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट में अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक / आरटीए द्वारा दिए गए अनुक्रम संख्या का उपयोग करें या बैंक / आरटीए से संपर्क करें।</li> </ul>	
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि	(dd/mm/yyyy प्रारूप में) दर्ज करें।	
31 1 1(11-1	<ul> <li>यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक में दर्ज नहीं हैं, तो निर्देश (v) में उल्लिखित लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी / फोलियो संख्या दर्ज करें।</li> </ul>	

- (vii) इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद, "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।
- (viii) भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारक इसके बाद सीधे बैंक चयन स्क्रीन में पहुँच जाएँगे। तथापि डीमैट रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्य, अब ''पासवर्ड सृजन'' के मेनु में पहुँचेंगे जहाँ उनसे अनिवार्यतः अपेक्षा की जाती है कि वे नये पासवर्ड फील्ड में अपने लागइन पासवर्ड को प्रविष्ट करें। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का प्रयोग डीमैट धारकों द्वारा अन्य किसी भी कंपनी के संकल्पों के लिए वोट करने हेतु भी किया जाएगा, जहाँ वे वोट देने के लिए पात्र हैं बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लैटफार्म के जिरए ई—मतदान का

- विकल्प उपलब्ध कराती है। हमारी सलाह है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतू अत्यन्त सावधानी बरतें।
- (ix) भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले सदस्यों के लिए, इस नोटिस में निहित प्रस्तावों पर केवल ई—मतदान के लिए विवरण का उपयोग किया जा सकता है।
- (x) संबंधित < कंपनी का नाम> ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिस पर आप मतदान देना चाहते हैं।
- (xi) वोटिंग पेज पर आप "संकल्प का वर्णन" पाएँगे और उसके सामने मतदान हेतु ''हाँ / नहीं'' विकल्प होगा। अपनी इच्छानुसार "हाँ" या "नहीं" का चयन करें। "हाँ" विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत हैं और "नहीं" विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।
- (xii) आप संपूर्ण संकल्पों को देखना चाहते हैं तो "संकल्प फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
- (xiii) आपने जिस संकल्प पर मतदान देने का निर्णय लिया है, उसको चुनने के बाद "सबिमट" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "ओके" पर क्लिक करें या अपना वोट बदलना चाहते हैं तो "कैन्सल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को आशोधित करें।
- (xiv) आप जब एक बार संकल्प पर अपना वोट ''पुष्टिकृत'' (CONFIRM) कर देते, तो आपको उसे बदलने नहीं दिया जाएगा।
- (xv) वोटिंग पेज पर "क्लिक हियर टू प्रिंटं" विकल्प पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए वोट को प्रिंट भी कर सकेंगे।
- (xvi) यदि डीमैट खाताधारक, अपने बदले गए पासवर्ड को भूल जाता है तो उपयोगकर्ता आईडी और छवि सत्यापन कोड को दर्ज करें और "पासवर्ड भूल गए" पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा बताए गए विवरण दर्ज करें।

# गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक और कस्टोडियन के लिए सुविधा- रिमोट वोटिंग

- गैर—व्यक्तिगत शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से अन्य) और कस्टोडियन को www.evotingindia.com पर लॉगइन करना होगा और खुद को 'कोर्पोरेट्स' मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।
- संस्था की मोहर और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करना होगा।
- लॉगइन विवरण प्राप्त करने के बाद एडिमन लॉगइन और पासवर्ड का उपयोग करके एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाना होगा। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वे मतदान करना चाहते हैं।
- लॉगइन में लिंक किए गए खातों की सूची को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल किया जाना चाहिए और उन खातों का अनुमोदन होने के पश्चात वे अपना मतदान कर सकेंगे।
- बोर्ड के संकल्प और पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) की एक स्कैन प्रति जो उन्होंने कस्टोडियन के पक्ष में जारी की है, यदि कोई है, तो इसे सत्यापित करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।
- वैकल्पिक रूप से गैर—व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा संबंधित बोर्ड के संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, जो वोट करने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित हस्ताक्षर के साथ संवीक्षक और बैंक को ईमेल पते यथा investors@indianbank.co.in पर भेजा जाना अपेक्षित है, यदि उन्होंने अलग—अलग टैब से मतदान किया है और जांच के लिए सीडीएसएल ई—वोटिंग सिस्टम में उसे अपलोड नहीं किया है।

### 17. एजीएम में मतदान

कार्यसूची मदों पर चर्चा के बाद बैंक इन कार्यसूची मदों के संदर्भ में मतदान शुरू करेगा। यह मतदान इस उद्देश्य हेतु नियुक्त किए गए संवीक्षक के द्वारा संचालित व परीक्षित किया जाएगा। वीसी/ओएवीएम या भौतिक रूप से आयोजित होनेवाले बैठक में शामिल होनेवाले शेयरधारक/ परोक्षी/अधिकृत प्रतिनिधि अपना मतदान प्रक्रिया के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यद्यपि वे शेयरधारक जोिक रिमोट ई—मतदान के जरिये अपना मत दे चुके हैं वे भौतिक बैठक के दौरान होने वाली मतदान प्रक्रिया में दुबारा मतदान के पात्र नहीं होंगे।

## 18. एजीएम के दौरान बैठक में सहभागिता और ई—मतदान के संबंध में शेयधारकों के लिए निम्नलिखित निर्देश हैं :

- i. एजीएम के दिन बैठक और ई—वोटिंग में भाग लेने की प्रक्रिया वही है जो रिमोट ई—वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित है।
- ii. नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार, शेयरधारक बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में जुड़ सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में प्रतिभागिता की सुविधा सबसे पहले जुड़ने वाले 1000 शेयरधारकों के लिए उपलब्ध रहेगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति एवं हितधारक संबंध समित, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे तथा ये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग सकेंगे।
- iii. बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक उपलब्ध होगा जहां रिमोट ई—वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगइन के बाद बैंक का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा।
- iv. रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक एजीएम बैठक में भाग लेने के लिए पात्र होंगे । हालांकि, वे एजीएम बैठक में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
- v. शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि बेहतर अनुभव के लिए वे लैपटाप/आई पैड का इस्तेमाल करें।
- vi. इसके अतिरिक्त बाधारहित बैठक के लिए शेयरधारकों को अच्छी तीव्रता वाले इन्टरनेट का प्रयोग एवं कैमरा ऑन किए जाने की आवश्यकता है।
- vii. मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से मोबाइल उपकरणों या टैबलेट या लैपटाप का उपयोग करनेवाले कृपया नोट करें कि संबन्धित नेटवर्क में अस्थिरता के कारण ऑडियो / वीडियो की अदृश्यता हो सकती है। अतः उपरोक्त अवरोधों से बचने के लिए स्थिर वाई—फाई या लैन कनैक्शन के प्रयोग की सलाह दी जाती है।
- viii. यदि कोई शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार प्रकट करना / प्रश्न पूछना चाहता है तो वह 09 जुलाई, 2021 तक या उससे पहले investors@indianbank.co.in पर अपना नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, ई—मेल आईडी, मोबाइल नंबर बताते हुए स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत करने हेतु अग्रिम निवेदन भेजे। वे शेयरधारक जिनके पास प्रश्न हैं किन्तु वे उन्हें एजीएम के दौरान नहीं पूछना चाहते हैं, वह 09 जुलाई, 2021 तक या उससे पहले बैंक के ई—मेल आईडी पर अपना नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, ई—मेल आईडी, मोबाइल नंबर बताते हुए अपने प्रश्नों को हमें भेजे। बैंक द्वारा उनके प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त रूप से ई—मेल द्वारा दिये जाएंगे।
- ix. जिन शेयरधारकों ने स्वयं को स्पीकर के रूप पंजीकृत किया है केवल वे ही एजीएम के दौरान अपने विचार प्रकट कर सकते हैं / प्रश्न पूछ सकते हैं।
- x. केवल वे शेयरधारक, जोिक वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और रिमोट ई—मतदान के माध्यम से कार्यसूची मदों/संकल्पों पर मतदान नहीं किया है एवं ऐसा करने से प्रतिबंधित भी नहीं हैं, एजीएम के दौरान ई—मतदान हेतु पात्र होंगे।
- xi. उन शेयरधारकों, जिन्होंने एजीएम के दौरान उपलब्ध ई—मतदान के माध्यम से मतदान किया है किन्तु वे वीसी / ओएवीएम के माध्यम से होनेवाली बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, के मतों को अवैध माना जाएगा

क्योंकि बैठक के दौरान ई-मतदान की सुविधा केवल बैठक में उपस्थित रहनेवाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध होगी।

इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1999 के विनियम 50 के तहत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेनेवाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।

# उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनका ईमेल/मोबाइल नं. बैंक/डिपॉजिटरी के शेयरधारक रिकॉर्ड में पंजीकृत

- 1. वे शेयरधारकों जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं कृपया अपना आवश्यक विवरण यथा फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) **आरटीए को ईमेल आईडी** murali@cameoindia.com पर ईमेल द्वारा भेजें।
- 2. डीमैट शेयरधारकों के लिए कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के माध्यम से अद्यतन करें।
- 3. व्यक्तिगत डीमैट शेयरधारकों के लिए कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के माध्यम से अद्यतन करें जो डिपॉजिटरी के माध्यम से ई-वोटिंग और वर्च्अल बैटक में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

यदि आपके पास एजीएम और ई–वोटिंग में भाग लेने के संबंध में सीडीएसएल ई–वोटिंग सिस्टम से कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल कर सकते हैं या 022-23058738 और 022-23058542ध्43 पर संपर्क कर सकते हैं।

## 19. एजीएम के दौरान रिमोट ई-मतदान और ई-मतदान के परिणाम :

रिमोट ई-मतदान के परिणामों को बैठक में ई-मतदान के परिणामों के साथ एकत्र किया जाएगा जिसकी घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात एनएसई और बीएसई को भी सूचित किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-(पद्मजा चुन्डूरू)

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी दिनांक : 10 जून, 2021

स्थान : चेन्नै



Corporate Office: 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014.

## **NOTICE**

NOTICE is hereby given that the Fifteenth Annual General Meeting of the Shareholders of Indian Bank will be held on Friday, the 16<sup>th</sup> July, 2021 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business (es):

#### Item No. 1:

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2021, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

### Item No. 2:

To declare dividend on Equity Shares

By Order of the Board of Directors

Place : Chennai

Date: 10th June 2021

Sd/-(Padmaja Chunduru) Managing Director & CEO

### **NOTES**

# 1. HOLDING OF ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("E-AGM"):

- a. In view of the outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing norms to be followed and pursuant to clarificatory General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 20/2020 39/2020 and 02/2021 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020, 31st December 2020 and 13th January, 2021 respectively, issued by the Ministry of ("MCA Circulars") Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 2020 and May, SEBI/HO/CFD/CMD/2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and in compliance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the AGM of the Bank is being conducted through VC/OAVM require physical facility. which does not members/shareholders at a common venue. The deemed venue for the AGM shall be the Corporate Office of the Bank situated at Chennai. The Agenda item being unavoidable, be transacted at the AGM of the Bank through VC/OAVM.
- b. The Bank is adhering and complying with all the provisions mentioned in the MCA Circulars. The Bank has made all the necessary arrangements to avoid failure of VC/OAVM connection. The Bank has ensured sufficient and adequate security to safeguard the integrity of the meeting.
- c. Central Depository Services (India) Limited (CDSL) will be providing facility for voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM facility and e-voting during the AGM.
- d. In line with the MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the AGM will be made available on the website of the Bank at www.indianbank.in, on the website of the Stock Exchanges namely BSE Limited at <a href="https://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> and National Stock Exchange of India Ltd. at <a href="https://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a>.
- e. As the AGM will be held through VC/OAVM Facility, the Route Map is not annexed in this Notice as required under Secretarial Standard 2.
- f. Shareholders holding shares in physical mode may temporarily register their e-mail lds by clicking on the link <a href="https://investors.cameoindia.com">https://investors.cameoindia.com</a> to get the soft copy of the Notice of AGM and the Annual Report.

### 2. VOTING RIGHTS:

In terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, is entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Further, as per Regulation 10 of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended, if any share stands registered in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

#### 3. APPOINTMENT OF PROXY:

In terms of the MCA Circulars, since the physical attendance of Members has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Members under Regulation 62 of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 will not be available for the AGM. Therefore, instrument for appointing proxy and attendance slip is not being attached herewith.

#### 4. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Corporate Office of the Bank with the Company Secretary, Indian Bank, Investors' Services Cell, Wing 2-C, 2<sup>nd</sup> Floor, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 or a scanned certified to be a true copy of the aforesaid Resolution is emailed to scrutinizer@snaco.net and a copy to investors@indianbank.co.in, not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on July 09, 2021.

#### 5. RECORD DATE AND BOOK CLOSURE:

Record Date for payment of dividend will be Friday, the 09th July, 2021.

The Register of Shareholders and the Share Transfer / Transmission Books of the Bank will remain closed from **Saturday**, **the 10**<sup>th</sup> **July**, **2021 to Friday**, **the 16**<sup>th</sup> **July**, **2021** (both days inclusive) for the purpose of AGM.

#### 6. PAYMENT OF DIVIDEND:

Payment of dividend, if declared by the Shareholders in the Annual General Meeting, will be made to those shareholders whose names appear:

- a) as Beneficial Owners as at the close of business hours on Friday, the 9th July, 2021 as per the lists to be furnished by NSDL/CDSL in respect of the Shares held in electronic form and/or
- b) in the Register of shareholders as on Friday, the 9th July, 2021 after giving effect to the valid transfer/transmission requests received from the shareholders holding shares in physical form, before close of business hours on Friday, the 9th July, 2021.

Dividend warrants to such shareholders who have not opted for credit of their dividend through National Automated Clearing House (NACH) would be sent by the Bank through Registrar and Share Transfer Agent viz. Cameo Corporate Services Ltd., before the date of payment of dividend.

The shareholders who have opted for credit of their dividend through NACH/electronic credit, will be paid dividend through NACH by directly crediting the dividend amount to their Bank account. In case of failure/ return of NACH, the dividend warrants will be issued to the respective shareholders.

The payment of dividend is subject to necessary approval/direction from the Govt. of India.

The dividend payment date will be 30<sup>th</sup> July 2021.

#### 7. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

As the Meeting is being conducted through VC/OAVM, no Attendance Slip is required to attend the AGM.

In the event lockdown is lifted in entirety or assembly restrictions are eased and in the event the Meeting is conducted at the Auditorium and the Shareholders are entitled to attend the meeting, the Attendance Slip Cum entry Pass will be made available at the Venue for the benefit of the Shareholders.

#### 8. COMMUNICATION WITH REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENT:

The Shareholders holding shares in physical form are requested to approach the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank, to intimate changes, if any, in their registered address, to lodge request for transmission, issue of duplicate share certificate, ECS (Electronic Clearing System) Mandate etc. at the following address:-

Cameo Corporate Services Limited

(Unit : Indian Bank)

Subramanian Building No.1,

Club House Road Chennai - 600 002

Tele:- 044-28460390/91/92/93/94 (5 Lines)

Email: investor@cameoindia.com, cameo@cameoindia.com

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Indian Bank has set up an Investor Services Cell at its Corporate Office, Chennai. Shareholders and investors may contact this Cell at the under mentioned addresses for any assistance:

The General Manager - CFO
Indian Bank, Corporate Office
254-260, Avvai Shanmugam Salai,
Royapettah,
Chennai - 600 014
Telephone No.-044-28134574

The Asst. General Manager &
Company Secretary
Indian Bank, Investor Services Cell
254-260, Avvai Shanmugam Salai,
Royapettah, Chennai- 600 014
Telephone No.044-28134698

#### 9. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

E-mail-cfo@indianbank.co.in

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C /125 of the Companies Act, 1956/2013.

Email-ibinvestorrelations@indianbank.co.in

Pursuant to the directives/guidelines of the Government of India, Ministry of Finance vide their letter No.F.No.7/93/2013- BOA dated 21.05.2014, the unpaid and unclaimed dividends amounts of the Bank for the Financial Year 2012-13 and 2013-14 (Interim) have been transferred to "Investor Education and Protection Fund" and transfer of unpaid and unclaimed dividend of the Bank for the Financial Year 2013-14 (Final) to "Investor Education and Protection Fund" is in process.

Further, it is requested that the shareholders who have not received/claimed their dividend, if any declared by the Bank for Financial Year 2014-15 and onwards are requested to lodge their valid claim(s) with Registrar and Share Transfer Agent, Cameo Corporate Services Limited, Subramanian Building, No.1, Club House Road, Chennai -

600 002, alongwith his/her Bank detail for remittance of proceeds of the unpaid dividend warrant/s to him/her through NEFT/NACH.

The Bank has posted the details of the Unclaimed / Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., www.Indianbank.in to enable the shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent / or the Bank.

#### 10. CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT:

- a. Accordingly, For payment of dividend, the Bank uses the details of Bank Account registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account should be updated through their respective Depository Participant ("DP") so as to get it updated before Record Date. The Bank or its RTA cannot act on any request received directly from the shareholders holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes should be taken up by the shareholders with their Depository Participant, where he/ she is maintaining his/ her Demat Account.
- b. Shareholders holding shares in physical form are requested to send formal request application duly signed along with a valid documentary evidence for updation of any change of address and for updation of Bank Account Details send formal request application duly signed along with a cancelled cheque leaf bearing details like A/c No., MICR code, IFSC Code and name printed thereon to the Bank's Registrar & Share Transfer Agent (RTA), Cameo Corporate Services Ltd. at the address mentioned herein before.
- c. Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) for any correspondence with the Bank or Bank's RTA.

#### 11. GREEN INITIATIVE:

To support the 'Green Initiative', shareholders who have not yet registered their email addresses are requested to register the same with their DPs in case the shares are held by them in electronic form and with Cameo Corporate Services Limited in case the shares are held by them in physical form.

#### 12. EXERCISE OF VOTING RIGHTS THROUGH E-VOTING:

In terms of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through Remote e-voting.

#### Remote e-voting is optional.

The voting rights of the shareholders/beneficial owners shall be reckoned on the equity shares held by him/her as on **Friday**, **the 09**<sup>th</sup> **July**, **2021** (Cut-Off Date fixed for the purpose).

#### 13. DISPATCH OF NOTICE AND ANNUAL REPORT:

In line with SEBI and MCA Circulars, copies of the Notice of AGM and the Annual Report for FY 2020-21 shall not be dispatched in physical form and the same shall be sent through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered in Shareholders Record of the Bank.

Notice of AGM and Annual Report for FY 2020-21 will be hosted on the website of the Bank at www.indianbank.in.

#### 14. DEMATERIALISATION OF PHYSICAL HOLDINGS:

SEBI has mandated submission of permanent account number (PAN) and bank details by every participant in the securities market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit their PAN details to their Depository Participants. Members holding shares in physical form are requested to submit their PAN details to the Bank's RTA. Securities of listed entities would be transferred in dematerialised form only, effective from 1<sup>st</sup> April, 2019. In view of the same members holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form to eliminate all risks associated with physical shares.

#### 15. SCRUTINIZERS FOR E-VOTING AT MEETING:

The Bank has appointed M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and voting at AGM process in a fair and transparent manner.

#### 16. PROCESS AND MANNER OF E-VOTING:

The instructions for members for voting electronically are as under:-

The Electronic Voting Sequence Number (EVSN) –	
Agenda item No. 1: To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2021, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.	
Agenda item No. 2: To declare dividend on Equity Shares	

- (i) The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on **July 09, 2021** (Cut-Off Date fixed for the purpose) for the Agenda item of the notice.
- (ii) The voting period begins at 10.00 a.m. on July 13, 2021 and will end at 5.00 p.m. on July 15, 2021. During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) i.e. July, 09, 2021 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (iii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting venue.
- (iv) Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020, under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholders/retail shareholders is at a negligible level.

Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders. In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to all the demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

(v) In terms of SEBI circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to abovesaid SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Individual shareholders holding securities in Demat mode is given below:

Type of	Login Method
shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are <a href="https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login">https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login</a> or visit <a href="www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> and click on Login icon and select New System Myeasi.
	2) After successful loginthe Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies/ Banks where the evoting is in progress as per the information provided by company/Bank. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providersi.e. CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.
	If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available     at <a href="https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration">https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</a>
	4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link availableon <a href="www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting optionwhere the evoting is in progressand also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.

Individual
Shareholders
holding
securities in
demat mode
with **NSDL** 

- 1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a> either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company/Bank name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
- 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a>. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at <a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</a>
- 3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <a href="https://www.evoting.nsdl.com/">https://www.evoting.nsdl.com/</a> either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company/Bank name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting

Individual
Shareholders
(holding
securities in
demat mode)
login through
their

# Depository Participants

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company/Bank name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

**Important note**: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at <a href="helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> contact at 022- 23058738 and 22-23058542-43.
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with <b>NSDL</b>	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

- (vi) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than individual shareholders holding in Demat form & physical shareholders:
  - 1) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
  - 2) Click on "Shareholders" module.
  - 3) Now enter your User ID
    - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
    - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
    - c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
  - 4) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
  - 5) If you are holding shares in demat form and had logged on to <a href="https://www.evotingindia.com">www.evotingindia.com</a> and voted on an earlier e-voting of any company/Bank, then your existing password is to be used.
  - 6) If you are a first-time user follow the steps given below:

	For Shareholders holding shares in Demat Form other than individual and Physical Form
PAN	<ul> <li>Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)</li> <li>Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Bank/RTA or contact Bank/RTA.</li> </ul>
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	<ul> <li>Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login.</li> <li>If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).</li> </ul>

- (vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (viii) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter

their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

- (ix) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for evoting on the resolutions contained in this Notice.
- (x) Click on the EVSN for the relevant <Company Name> on which you choose to vote.
- (xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiii) After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xiv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xv) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xvi) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

#### Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians – Remote Voting

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to <u>www.evotingindia.com</u> and register themselves in the "Corporates" module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u>.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they
  have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in
  the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; <a href="mailto:investors@indianbank.co.in">investors@indianbank.co.in</a>, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

#### 17. VOTING AT THE AGM:

After discussion on the agenda items, the Bank will conduct voting in respect of the agenda items. Voting will be conducted and supervised by Scrutinizer(s) appointed for the purpose. The share holder(s)/Proxy(ies)/Authorized Representative(s) attending the meeting through VC/OAVM or in case physical meeting is held the shareholders present at the venue of the general meeting can exercise their votes through voting process. However, the shareholders who have already cast their votes through remote e-voting will not be entitled to participate in the voting process during the meeting/at the venue of the meeting.

### 18. INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR ATTENDING MEETING AND E-VOTING DURING THE AGM:-

- i. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
- ii. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation in the AGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.
- iii. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Bank will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for Remote e-voting.
- iv. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
- v. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / iPads for better experience.
- vi. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- vii. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- viii. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their requestin advance on or before July 09, 2021 mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at <a href="mailto:investors@indianbank.in">investors@indianbank.in</a>. The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance on or before July 09, 2021 mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at <a href="mailto:investors@indianbank.co.in">investors@indianbank.co.in</a>. These queries will be replied to by the Bank suitably by email.
- ix. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
- x. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Agenda items/Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.

- xi. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.
- xii. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum.

# PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL / MOBILE NO. ARE NOT REGISTERED IN SHAREHOLDER RECORD OF THE BANK / DEPOSITORIES.

- 1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to RTA at email id murali@cameoindia.com.
- 2. For Demat shareholders Please update your email id & mobile no. through your respective Depository Participant (DP)
- 3. For Individual Demat shareholders Please update your email id & mobile no. through your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meeting through Depository.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to <a href="https://helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43.

#### 19. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING E-AGM:

The Results of the voting during the meeting/at the meeting aggregated with the results of Remote E-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges, ie. NSE & BSE.

By Order of the Board of Directors

Place : Chennai Date : 10<sup>th</sup> June 2021 Sd/-(Padmaja Chunduru) Managing Director & CEO